विश्वविद्यालय अनुदान अयोग
बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग
नई दिल्ली–110002

मि.सं. 1–127/2013 (एन्टी रैगिंग)

सार्वजनिक सूचना
उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में
रैगिंग के जोखिम पर नियन्त्रण

जन साधारण के संज्ञान में लाया जाता है कि रैगिग एक आपराधिक दोष है और यूजीसी ने उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में रैगिंग के जोखिम को नियन्त्रित करने के लिए यूजीसी विनियम–2009 का सृजन किया है ताकि भारतीय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों में रैगिंग को प्रतिबन्धित, निराकरण एवं उसके अनिष्ट का उन्मूलन किया जा सकें तथा यह उपरोक्त विनियम समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों के लिए अधिदेशात्मक हैं।

समस्त संस्थान रैगिंग विरोधी तन्त्र को परिवर्धित करे जिसके लिए विभिन्न माध्यमों द्वारा पर्याप्त प्रचार–प्रसार करें जैसे कि रैगिंग विरोधी बहुल उत्साह वर्धक समिति एवं रैगिंग विरोधी दस्ते, तुरन्त अनुक्रिया प्रणाली सी.सी.टी.वी. कैमरों को प्रमुख स्थलों पर लगाना, आपात घंटियों, नियमित अन्योन्य क्रिया एवं परामर्श द्वारा एवं कठिनाइयों को प्रेरित करने वालों को चिह्नित करके, तथा संस्थान की सूचना पुस्तिकाओं/विवरणिकाओं द्वारा, छात्रावासों, छात्रों के आवासों, कैन्टीनों, आराम बनाम मनोरंजन कक्षों, जन सुविधाओं, बसअड्डों अथवा ऐसे कुछ अन्य उपायों को चिह्नित किया जाए जिसमें समय रहते यथार्थ रूप से रैगिंग का पूर्वाभास मिल सकता है तथा इसका निराकरण/दमन करने अथवा किसी भी अनावश्यक व्यवहार, दुर्घटना को रोकने में सहायक हो, सकते है। समस्त छात्रों एवं उनके अभिभावकों/संरक्षक समुदायों को भी रैगिंग विरोधी वेबसाइट एवं रैगिंग विरोधी सर्वेक्षण एजेन्सी से अवगत कराया जाना चाहिए तथा समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा इनके क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने चाहिए जिन्हे यूजीसी के संज्ञान में लाया जाए।

किसी भी कठिनाई की स्थिति में प्रत्येक छात्र/अभिभावक को जानकारी होनी चाहिए कि किससे सम्पर्क साधे अथवा कौन से वैकल्पिक संपर्क नम्बरों पर संपर्क करें। समस्त नियामक निकायों एवं शैक्षिक संस्थानों को–तथा यूजीसी द्वारा निधियन किये गए विश्वविद्यालयों एवं सभी को विश्वविद्यालयों अनुदान आयोग को आश्वस्त करना चाहिए कि उनके पास कठोर रैगिंग विरोधी विधि विद्यमान है। रैगिंग की घटनाओं के कष्ट से ग्रस्त छात्र टॉल फ्री हेल्पलाइन 1800–180–5522 पर पहुँच बना सकते है तथा मैसर्ज साइरेक्स इन्फ़ोसर्विसिज इन्डिया प्राइवेट लिमिटेड, जे–1 उद्योग नगर समीप डी.डी. मोटर्स, रोहतक रोड, पीरागढ़ी, नई दिल्ली–110041 **वेबसाइट www.antiragging.in** पर संपर्क साध सकते हैं।

सचिव